

सायलान उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम :- श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

मिसल न०- 10./2022

अनवान :-

1. पोखरराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर ।
2. फुलचन्द पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर ।
3. महेंद्र पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर ।

सायलान

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र हंसराज जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर ।
2. सिलोचना पत्नी रामप्रताप जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

-गैर सायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज०
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपरिस्थित :- श्री हवासिंह पुनिया अभिभाषक, सायलान
श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 29/09/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की सायलान की रोही मोजा चक 2 केएम के प०न० 219/391(21) के किला न० 16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,22/0.2530 ,25/0.2530 प०न० 219/392(29) के किला न० 2/0.2530 ,5/1 की 0.2280 ,5/2 की 0.0250 ,6/1 की 0.2280 ,6/2 की 0.0250 ,9/0.2530 ,10/0.2530 ,15/1 की 0.2280 ,15/2 की 0.0250 ,16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250 ,25/1 की 0.2270 ,25/2 की 0.0260 ,प०न० 220/392 (28) के किला न० 11/2 की 0.1900 ,20/2 की 0.2030 ,21/2 की 0.2030 कुल 3.8720हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

रोही मोजा चक 2 केएम के प०न० 219/391(21) के किला न० 15/2 की 0.1210 ,19/1 की 0.2400 ,23/0.2530 , प०न० 219/392 (29) के किला न० 3/0.2530 , 8/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 , कुल 1.8790हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है ।

सायलान स्वीकृत शुद्धा रास्ता से होते हुए अपने खेत में चलकर गैरसायल संख्या 1 ,2 के खेत चक 2 केएम के प०न० 219/391(21) के किला न० 23 के उतरी साईड में पश्चिमी कोना में से चलकर अपने खेत के किला न० 22 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है

सायलान का खाता विभाजन के समय से ही उक्त रास्ता से ही आवागमन कर रहा है इसके सिवाय अन्य कोई आवागमन का स्वीकृत रास्ता नहीं है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है खाता विभाजन के समय यह रास्ता छोडा गया था किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने से सायलान के हकों का हनन होता है ।

सायलान ने गैरसायल संख्या 1 ,2 को कई बार निवेदन किया की सायलान को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता स्वीकृत करवा लेवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान की भूमि रोही मोजा चक 2 केएम के प०न० 219/391 (21) के किला न० 23 के उतरी साईड में

पश्चिमी कोना मे से 0.001 हैक् भूमि में रास्ता स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ,2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया की प्रश्नगत भूमि सायलान एव गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है तथा प्रार्थीगण रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 16 ,17 ,18 , 22 , 25 के सायलान खातेदार काश्तकार है तथा अपने खेत में किला न0 22 में प्रवेश करने के लिये किला न0 16 ,17 ,18 में से होकर किला न0 22 में प्रवेश करते है तथा प0न0 219/391(21) के पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 के समीप स्वीकृत शुद्धा रास्ता तथा अपने खेत में आवागमन करने में कोई ऐतराज नहीं है।

गैरसायल के किला न0 23 के उत्तरी साईड में पश्चिमी कोने से चलकर अपने खेत में किला न0 22 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है गैरसायल के पास थोड़ी भूमि है आजीविका का मात्र कृषि भूमि है जानबुझ कर गैरसायलान को परेशान किया जा रहा है।

सिचाई नियमों के अनुसार प0न0 पर ही रास्ता स्वीकृत होता है जो पूर्व में ही किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में स्वीकृत रास्ता है तथा सायलान की भूमि किला न0 16 ,17 ,18 ,22 ,25 में है जिससे आवागमन में कोई बाधा नहीं है उपरोक्त नियमों के विरुद्ध कुरतपाड रास्ता चाहा जा रहा है जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता है नियम कानूनी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज योग्य है।

सायलान को अपनी भूमि में जाने के लिये पहले से ही रास्ता है पूर्व में ही 2-2 गठठा रास्ता स्वीकृत है अन्य प्रार्थना पत्र भी रास्ता हेतु विचाराधीन है जिसमें भी दो किलो में रास्ता चाहा जा रहा है प्रार्थना पत्र रंजिश वशं पेश किया गया है धारा 251 के शरायतो व कानूनी नियमों के विपरित है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे जबाब शामिल मिसल किया गया।

परोकार राज ने निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्ष को सुना गया।

सायलान के अधिवक्ता अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया सायलान की रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,22/0.2530 ,25/0.2530 प0न0 219/392(29) के किला न0 2/0.2530 ,5/1 की 0.2280 ,5/2 की 0.0250 ,6/1 की 0.2280 ,6/2 की 0.0250 ,9/0.2530 ,10/.0.2530 ,15/1. की 0.2280 ,15/2 की 0.0250 ,16/1 की 0.2280 ,16/2 की 0.0250 ,25/1 की 0.2270 ,25/2 की 0.0260 ,प0न0 220/392 (28) के किला न0 11/2 की 0.1900 ,20/2 की 0.2030 ,21/2 की 0.2030 कुल 3.8720 हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 15/2 की 0.1210 ,19/1 की 0.2400 ,23/0.2530 , प0न0 219/392 (29) के किला न0 3/0.2530 , 8/0.2530 ,13/0.2530 ,18/0.2530 ,23/0.2530 , कुल 1.8790 हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 ,2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायलान स्वीकृत शुद्धा रास्ता से होते हुए अपने खेत में चलकर गैरसायल संख्या 1 ,2 के खेत चक 2 केएम के प0न0 219/391(21) के किला न0 23 के उत्तरी साईड में पश्चिमी कोना में से चलकर अपने खेत के किला न0 22 में प्रवेश कर जाते है यही रास्ता सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है

सायलान का खाता विभाजन के समय से ही उक्त रास्ता से ही आवागमन कर रहा है इसके सिवाय अन्य कोई आवागमन का स्वीकृत रास्ता नहीं है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक है खाता विभाजन के समय यह रास्ता छोड़ा गया था किन्तु यह रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं होने से सायलान के हकों का हनन होता है।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रश्नगत भूमि सायलान एव गैरसायल संख्या 1, 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है राजस्व रिकार्ड की हद तक स्वीकार है तथा प्रार्थीगण रोही मौजा चक 2 के एम के प0न0 219/391(21) के किला न0 16, 17, 18, 22, 25 के सायलान खातेदार काश्तकार है तथा अपने खेत में किला न0 22 में प्रवेश करने के लिये किला न0 16, 17, 18 में से होकर किला न0 22 में प्रवेश करते हैं तथा प0न0 219/391(21) के पूर्व दिशा में पत्थर लाईन के किला न0 5, 6, 15, 16, 25 के समीप स्वीकृत शुद्ध रास्ता तथा अपने खेत में आवागमन करने में कोई ऐतराज नहीं है।

गैरसायल के किला न0 23 के उत्तरी साईड में पश्चिमी कोने से चलकर अपने खेत में किला न0 22 में कभी कोई रास्ता नहीं रहा है गैरसायल के पास थोड़ी भूमि है आजीविका का मात्र कृषि भूमि है जानबुझ कर गैरसायलान को परेशान किया जा रहा है।

सिचार्ड नियमों के अनुसार प0न0 पर ही रास्ता स्वीकृत होता है जो पूर्व में ही किला न0 5, 6, 15, 16, 25 में स्वीकृत रास्ता है तथा सायलान की भूमि किला न0 16, 17, 18, 22, 25 में है जिससे आवागमन में कोई बाधा नहीं है उपरोक्त नियमों के विरुद्ध कुरतपाड रास्ता चाहा जा रहा है जो स्वीकृत नहीं किया जा सकता है नियम कानूनी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है खारिज योग्य होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया सायलान की रोही मौजा चक 2 के एम के प0न0 219/391(21) के किला न0 16/0.2530, 17/0.2530, 18/0.2530, 22/0.2530, 25/0.2530 प0न0 219/392(29) के किला न0 2/0.2530, 5/1 की 0.2280, 5/2 की 0.0250, 6/1 की 0.2280, 6/2 की 0.0250, 9/0.2530, 10/0.2530, 15/1 की 0.2280, 15/2 की 0.0250, 16/1 की 0.2280, 16/2 की 0.0250, 25/1 की 0.2270, 25/2 की 0.0260, प0न0 220/392 (28) के किला न0 11/2 की 0.1900, 20/2 की 0.2030, 21/2 की 0.2030 कुल 3.8720 हैक् भूमि बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मौजा चक 2 के एम के प0न0 219/391(21) के किला न0 15/2 की 0.1210, 19/1 की 0.2400, 23/0.2530, प0न0 219/392 (29) के किला न0 3/0.2530, 8/0.2530, 13/0.2530, 18/0.2530, 23/0.2530, कुल 1.8790 हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1, 2 के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है।

सायलान का कथन है कि उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नहीं है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है तथा गैरसायल का कथन है कि सायलान को अपनी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्ध रास्ता पूर्व में उपलब्ध है सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता पूर्व में ही उपलब्ध है सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता चालू नहीं है ना ही सायलान के उपयोग में आ रहा है।

प्रस्तुत जमाबन्दीयो एव नजरी नक्शा के अनुसार रोही मौजा चक 2 के एम के मुरब्बा नम्बर 21 के किला न0 16, 17, 18 एवं 22, 25 सायलान के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मुरब्बा नम्बर 21 के किला न0 19, 23 गैरसायलान संख्या 1, 2 की खातेदारी भूमि दर्ज है जो प्रस्तुत नजरी नक्शा जमाबन्दी से पूर्णतया साबित है।

सायलान के द्वारा मु0न0 21 के किला न0 18 से 22 में जाने के लिये रास्ता नहीं है इसलिये सायलान गैरसायलान के मु0न0 21 के किला न0 19, 23 के मध्य के कोने में

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/रास्ता/2022/3116

दिनांक 29/09/22

तहसीलदार,
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र सं० 10 सन 2022 निर्णय दिनांक- 29/09/2022

अनवान :-

अनवान :-

1. पोखरराम पुत्र खेताराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर ।
2. फुलचन्द पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. महेंद्र पुत्र पोखरराम जाति माली निवासी थालडका तहसील नोहर।


सायलान

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र हंसराज जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. सिलोचना पत्नी रामप्रताप जाति सैनी निवासी थालडका तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-गेर सायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 2 केएम के प0न0 219/391 (21) के किला न0 23 के उत्तरी साईड में पश्चिमी कोना मे से 0.001हैक् भूमि में रास्ता स्वीकर किया जाता है तथा रास्ते में आने वाली भूमि के बदले में सायलान गैरसायलान संख्या 1 ,2 को वर्तमान बाजार भाव (डीएलसी) दर से राशि देगा तदाउपरान्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)